



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112024-258636
CG-DL-E-13112024-258636

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4529]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 2024/कार्तिक 22, 1946

No. 4529]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 2024/KARTIKA 22, 1946

पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2024

का.आ. 4910(अ).—केंद्रीय सरकार, अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 3 के खंड (च) में यथापरिभाषित केंद्रीय डाटाबेस के संबंध में निम्नलिखित को सशक्त करती है :-

(क) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 (2021 का 24) की धारा 22 और अन्तर्देशीय जलयान (केंद्रीय डाटाबेस एवं सहबद्ध मामले) नियम, 2024 के अनुसार, अन्तर्देशीय जलयानों के लिए केंद्रीय डाटाबेस बनाए रखने के लिए अधिकारी नियुक्त करने हेतु अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 6 में विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी ; और

(ख) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 (2021 का 24) की धारा 41 की उपधारा (3) के अनुसार केंद्रीय डाटाबेस को अद्यतन करने के लिए, ऐसा अधिकारी जो अन्तर्देशीय जलयान (केंद्रीय डाटाबेस और सहबद्ध मामले) नियम 2024 में विनिर्दिष्ट हो।

[फा. स. आईडब्ल्यूटी-11011/114/2021-आईडब्ल्यूटी]

डॉ. कमला कान्ता नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2024

S.O. 4910(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, in relation to the central database as defined in clause (f) of section 3 of the said Act, hereby directs that,-

- (a) the competent authority as specified under section 6 of the said Act, to appoint officers to maintain the central database for inland vessels in accordance with the provisions of section 22 of the said Act and the Inland Vessels (Central Database and Allied Matters) Rules, 2024; and
- (b) such officer or officers, as specified in the said rules, update the central database in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 41 of the said Act.

[F. No. IWT-11011/114/2021-IWT]

Dr. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)

//
/

//